217वें सत्र के समापन पर सभापति का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

राज्य सभा का 217वां सत्र आज समाप्त हो रहा है । यह सत्र 2 जुलाई, 2008 को शुरू हुआ था और इसमें मुख्यतया सरकार के वित्तीय कार्य को लिया गया। सरकारी कार्य के अतिरिक्त, इस सत्र ने सदस्यों को लोक महत्व के कतिपय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु अच्छे अवसर उपलब्ध कराएं।

सत्र के दौरान, छ: मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा हुई जोकि हाल ही में चर्चा हेतु शामिल किये गये मंत्रालयों की संख्या के सबंध में एक रिकार्ड है। चर्चा के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक विलेखों जैसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना और अल्पकालिक चर्चाओं का भी उपयोग किया गया। सदस्यों को लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने हेतु नियमित अवसर दिए गए मैं सदस्यों की सराहना करता हूं कि उन्होंने इन चर्चाओं में रचनात्मक रूप से भाग लिया और मैं ऐसा करने के लिए मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ।

सभा के कार्यकरण में सुस्पष्ट सुधार के बावजूद प्रश्न काल के दौरान व्यवधान के कारण चार दिनों तक कोई काम नहीं हो पाया। यह आशा की जाती है कि उच्च सदन की समग्र बुद्धिमता से एक ऐसी व्यवस्था सृजित होगी, जिससे कि हाल की घटनाओं से संबंधित सदस्यों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर माँगे जाने संबंधी चिंताओं को साथी सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना हीं व्यक्त किया जा सकें। मैंने सत्र के संबंध में महासचिव को सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने हेतु कहा है।

दस राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से सत्रह नये सदस्य इस सत्र के दौरान राज्य सभा में आये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आने वाले दिनों में सभा के कार्य में भरपूर और मूल्यवान योगदान देंगे।

मैं सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न पार्टियों और समूहों के नेताओं और माननीय सदस्यों द्वारा सभा की कार्रवाई के निर्बाध संचालन में दिये गये सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।